रजिस्ट्री सं० डी०-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II- खण्ड 3--उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 119] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 9, 1976/फाल्गुन 19, 1897

No. 119] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 9, 1976/PHALGUNA 19, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 9th March 1976

S.O. 184(E).—Whereas by the Order of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development and Internal Trade (Department of Industrial Development) No. S.O. 1482, dated the 31st March, 1971, the management of the industrial undertaking known as Messrs. Gresham and Craven of India Private Limited, Calcutta, had been taken over by the Board of Management referred to in that Order for a period of five years;

AND WHEREAS the Central Government is of the opinion that it is expedient in the public interest that the management of the said industrial undertaking by the said Board of Management should continue for a further period of one year;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (2) of section 18A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby directs that the Order mentioned above shall continue to have effect for a further period of one year.

[No. F. 4/8/76-CUC]

D. K. SAXENA, Jt. Secy.

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय

औद्योगिक विकास विभाग

आदेश

नई दिल्ली, 9 मार्च, 1976

का० आ० 184 (अ).—भारत सरकार के भूतपूर्व औद्योगिक विकास और आन्तरिक व्यापार मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का० आ० 1482, तारीख 31 मार्च, 1971 द्वारा मेसर्स ग्रेशम एण्ड क्रेबन आफ इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड, कलकत्ता नामक औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध, उस आदेश में निर्दिष्ट प्रबन्ध बोर्ड द्वारा पांच वर्ष की अवधि के लिए ग्रहण कर लिया गया था ;

और केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोक हित में यह समीचीन है कि उक्त प्रबंध बोर्ड द्वारा उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबंध एक वर्ष की और अवधि के लिए जारी रहना चाहिए ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उपयोग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18क की उपधारा (2) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निदेश देती है कि ऊपर उल्लिखित आदेश एक वर्ष की और अवधि के लिए प्रभावी बना रहेगा।

[सं० फा० 4/8/76-सी० यू० सी]

दिनेश किशोर सक्सेना संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1976